रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 170] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, जुलाई 19, 1973/आषाढ़ 28, 1895

No. 170] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 19, 1973/ASADHA 28, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 19th July, 1973

SUBJECT:—*Import Policy for Newsprint—Printing and Writing Paper (excluding laid marked paper) which contains mechanical wood pulp amounting to not less than 70% of the fibre contents—(S. No. 44/V)—for the year April 1973—March 1974.*

No. 119-ITC(PN)/73.—The import policy for Newsprint (S. No. 44/V) for the year April 1973—March 1974 is given in Annexures I to IV to this Public Notice and shall be applicable with effect from the 1st April, 1973.

ANNEXURE I

Part & S.No. of I.T.C. Schedule	Description	Licensing Authority	Policy for Established Importers	Validity of licence	Remarks
1	2	3	4	5	6
44/V	White Printing paper (excluding laid marked paper) which contains mechanical wood pulp amounting to not less than 70% of the fibre content.	CCI&E	Nil	Twelve months.	I. Licences issued for newsprint will also be valid for import of water-lined newsprint provided it contains mechanical wood pulp amounting to not less than 70% of the fibre content and its weight is not less than 51-52 ±4% grammes per square metre. II. A.U. for publishers and/or printers of newspapers and periodicals. III. A.U. applications in 'J' form from publishers and/or printers of newspapers and periodicals for newsprint will be submitted, in duplicate, and complete in all respects, through the Registrar of Newspapers for India, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi. IV. Grant of import licences for newsprint will be considered on the basis of applications for the same received by the Registrar of Newspapers not later than the 1st October, 1973. V. (a) Entitlement of individual newspapers/periodicals for newsprint will be determined by the Registrar of Newspapers for India, New Delhi, on the basis of its performance in 1972-73 taking into account average circulation, average number of pages and average page-area actually published by utilising newsprint authorised for that period. V. (b) The entitlement of individual newspapers/periodicals as worked out under Remark V(a) read with Remark VI will be subject to a reduction of 30% in imported newsprint on account of reduced availability of imported newsprint for the period 1973-74. In the event of any improvement in newsprint availability, there will be a corresponding percentage restoration of the cut imposed. V. (c) Allocation of newsprint in accordance with the entitlement so fixed is subject to availability of foreign exchange or newsprint or either or both. In case either or both fall short of expectations, appropriate further cuts will be made.

1	2	3	4	5	6
					V. (d) The basis of newsprint entitlement of individual newspapers/periodicals as indicated above will not be applicable in respect of those newspapers/periodicals whose circulation has been checked by the Circulation Teams of the Registrar of Newspapers for India and assessed lower than the claimed circulation. In determining their newsprint entitlement the basis will be the assessed circulation on the one hand and the claimed average number of pages and average page area in 1972-73 on the other. V. (e) The entitlement for standard newsprint as also Nepa newsprint will be worked out on 53 gms. substance. V. (f) A compensation of 7% of entitlement will be given for wastage in transit and/or machine room. V. (g) Entitlement in Nepa newsprint will be increased by 10% as compensation for higher grammage. VI. The entitlement of newsprint will be met by issue of import licence(s) or authorisation(s) in favour of applicants in terms of Remark V above in the following manner:

Annual entitlement	Quantity to be allowed in imported newsprint	Quantity to be allowed in indigenous newsprint manufactured by Nepa Mills	To be authorised in direct licence against free sources	To be authorised against canalised imports
1	2	3	4	5
		Standard newsprint and indigenous newsprint		
Dailies: (*Including their Sunday editions*)				
(a) Less than 100 tonnes	100%	Nil	100%	Nil
(b) 100 tonnes or more but less than 400 tonnes.	100%	Nil	To be determined by the Registrar of Newspapers for India in the light of contracts entered into by the S.T.C., New Delhi with foreign suppliers.	
(c) 400 tonnes or above but less than 1,000 tonnes.	90%	10%		
(d) 1,000 tonnes or above but less than 2,000.	80%	20%	To be determined by the Registrar of Newspapers for India in the light of contracts entered into by the S. T. C., New Delhi with foreign suppliers.	
(e) 2,000 tonnes and above.	75%	25%		
Periodicals:				
(a) Less than 100 tonnes.	100%	Nil	100%	Nil
(b) 100 tonnes and above.	100%	Nil	To be determined by the Registrar of Newspapers for India in the light of contracts entered into with foreign suppliers by the S. T. C.	

1	2	3	4	5
Glazed Newsprint:				
All entitlements	100%	Nil	100%	Nil

NOTES: 1. Standard newsprint licensed from 'free resources' will have to be imported by newspapers against contracts entered into with specific suppliers in foreign countries by State Trading Corporation of India Ltd. Since the suppliers do not entertain ordres in lots of less than 10·00 tonnes, newspapers with entitlement less than 10·00 tonnes will be granted a direct licence against the contracts entered into by the S.T.C. if they arrange imports through an established importer and specify the same in the 'J' form. Otherwise, they will be granted authorisation on S.T.C. of India Ltd.

2. (a) Glazed/Rotogravure newsprint will be allotted to periodicals who apply for the same specifically upto 40% of their entitlement as fixed under Remark V(a). After allowing for the 30 per cent reduction as specified in Remark V(b) the remaining 30 per cent of the entitlement will be released in unglazed newsprint.

(b) To periodicals whose Glazed/Rotogravure entitlement works out to more than 50 tonnes, Glazed (60 gms) and Rotogravure (55 gms) will be released in equal proportion. To periodicals whose entitlement of Glazed/Rotogravure newsprint works out to less than 10·00 tonnes, an authorisation on State Trading Corporation of India Ltd., will be granted for obtaining supplies in 56 Cms (22 inches) an/ord 76 Cms (30 inches) size reels only.

3. Allotment to all categories will be made in reels only. An additional quantity for conversion of reels into sheets at the rate of 10% in respect of standard newsprint will be granted to newspapers with entitlement upto 25·00 tones.

4. Since Nepa Mills are not in a position to despatch consignments of less than ten tonnes, Nepa newsprint in lots of less than 10 tonnes will not be allotted. Allotments of smaller quantities may, however, be made to recipients who are willing to take delivery of their quota at the Nepa Mills and arrange for its transport.

5. On applications received after 1-10-1973, cuts will be made on entitlement as follows:—

(i) applications received upto 30-11-1973 10%.
(ii) applications received beyond 30-11-1973 and upto 1-2-1974 . 20%
(iii) applications received beyond 1-2-1974 and upto 31-3-1974 . . 40%

VII. (a) Newsprint is allotted to each individual newspaper/periodical and the newspaper/periodical is the recipient of the newsprint. Newspaper/periodical will not be permitted to adjust between them the quota allotted to each of them even when the publications are under the same ownership and/or bear the same title/name.

(b) The authorised quota of newsprint allotted under this Policy to a newspaper/periodical may, however, be used for a new "edition" of the same newspaper/periodical and the newsprint, if so used, shall be accounted for separately.

NOTE: For the above purpose an 'edition' is a newspaper/periodical which, irrespective of the place of publication bears the same name/title, is in the same language and has the same periodicity as the newspaper/periodical already being published by the same ownership/management, and is a reprint/separate run of the newspaper/periodical with variations dictated by the time-factor and to meet requirements of existing local readership and speedier distribution.

VIII. (a) *Clearence regarding availability of newsprint for new periodicals and newspapers.*—Publishers of *new* daily newspapers and periodicals intending to appy for newsprint quota shall obtain clearance regarding availability of newsprint from the Registrar of Newspapers for India before commencing publication. Information as per Annexure III shall be furnished while applying for clearance under the Allocation Policy.

(b) *New Dailies.*—In view of the shortage of newsprint, *new* daily newspapers will be allowed an initial quota which will be determined by the Registrar of Newspapers for India calculated on the basis of an average circulation upto 3,000 copies of 8 pages of standard size (2540 Sq. Cm) per publishing day during the first four months, after commencement of publication. For the first four months, imported newsprint from State Trading Corporation's

stocks will be released, provided the applicants execute bonds duly guaranteed by scheduled banks, for 75% of the value applied for under Column 10 of Actual Users' application ('J' form). The bonds, which are intended to ensure that the imported newsprint thus granted is utilised for publishing the proposed news-papers, will be cancelled on production of documentary evidence to the satisfaction of the Registrar of Newspapers for India or the Chief Controller of Imports and Exports to show that the newsprint has been utilised for the publication of the newspapers concerned. After three months of regular publication, the new dailies will be required to produce evidence (Chartered Accountant's Certificate in the form given in Annexure II to this Public Notice) of the average circulation achieved and the average page-area and number of pages printed during the first three months, and their entitlement will be fixed on the average circulation actually achieved and the average number of pages and page-area actually printed in the first three months subject to a maximum of 15,000 copies of 8 pages of Standard size.

(*c*) (*New weeklies, Tri-weeklies, Bi-weeklies, Fortnightlies and Monthlies*)

In view of the shortage of newsprint, new weeklies, tri-weeklies, bi-weeklies, fortnightlies and monthlies will be allowed intitial quota of newsprint which will be determined by the Registrar of Newspapers for India calculated on the basis of an average circulation of upto 3,000 copies of 8 pages of standard size (2540 Sq. Cms.), per publishing day during the first four months after commencement of publication. For the first four months, imported newsprint will be released, provided the applicants execute bonds duly guaranteed by scheduled banks, for 75% of the value applied for under Col. 10 of Actual Users application ('J' form). The bonds which are intended to ensure that the imported newsprint thus granted is utilised for publishing the proposed newspapers will be cancelled on production of documentary evidence to the satisfaction of the Registrar of Newspapers for India or the Chief Controller of Imports and Exports to show that the newsprint has been utilised for the publication of the newspapers concerned. After three months of regular publication, the new weeklies, tri-weeklies, bi-weeklies, fortnightlies and monthlies will be required to produce evidence (Chartered Accountant's Certificate in the form given in Annexure II to this Public Notice) to show the average circulation achieved and the avcarge page area and the number of pages printed during the first three months, and their entitlement will be fixed on the average circulation actually achieved and the average number of pages and page-area actually printed in the first three months, subject to a maximum of 15,000 copies and 8 pages of standard size except fortnightlies and monthlies for which quota will be admissible upto a maximum of 15,000 copies and 16 pages of standard size.

(*d*) *New Periodicals (other than Weeklies, Tri-weeklies, Bi-weeklies Frortnightlies and Monthlies)*

In view of the shortage of newsprint no quota will be allotted to such peridiocals for the first three months. After three months of regular publication, publishers of such periodicals should submit an application, in Actual Users Form, along with information contained in Annexure III and a Chartered Accountant's Certificate showing the average circulation achieved and the average page-area and number of pages printed during the first three months. Quota will be allotted to new periodicals for the rest of the licensing period for the average circulation actually achieved and the average number of pages and page-area actually printed during the first three months subject to a maximum of 15,000 copies of 16 pages of standard size for these periodicals.

(*e*) Existing newspapers which did not obtain clearance for the use of newsprint or licence, authorisation in 1972-73 will be treated as in para VIII (*a*), (*b*), (*c*) and (*d*) above/ However, the requirement of executing bonds duly guaranteed by scheduled banks will be waived in the case of those newspapers/periodicals who are born on the records of the Registrar of Newspapers for India and are in regular publication since January 1970 or earlier.

(*f*) In the case of dailies and periodicals which commenced publication prior to 1-4-1973 and which are in receipt of quota of newsprint less than the maximum admissible to a *new* daily periodical, the entitlement will be revised to the maximum admissible on production of documentary evidence to that effect.

IX. The following categories of periodicals will not be entitled to the allocation of newsprint not withstanding that they are classified as newspapers:—

(*a*) Journals published primarily to promote sale of goods or services;

(*b*) House journals/magazines brought out by individual firms/industrial concern;

(*c*) Price lists and catalogues;

(*d*) Publications intended for free distribution;

(*e*) Fiction;

(*f*) Racing Guides;

(*g*) School/College magazines; and

(*h*) Teaching Journals/Teaching guides.

X. If any newspaper/periodicial had not fully utilised the quantity allocated in 1972-73 including the additional quota allowed to commemorate the 25th year of Independence, the unutilised quantity shall be adjusted from its entitlement for 1973-74. To enable the Registrar of Newspapers for India to determine the consumption of newsprint in 1972-73, the particulars (monthwise) of circulation, pages, page-area and number of publishing days in 1972-73 should be furnished by the newspaper(s)/periodical(s) in the form given in Annexures and IV to this Public Notice. The consumption in 1972-73 will be worked out on the actual number of days published in the period. The particulars furnished in Annexure II referred to above should be certified by the Chartered Accountant. The Chartere' Accountant's Certificate need not be submitted where the circulation of a newspaper/periodical is less than 2,000 copies per publishing day.

NOTE: Allotment obtained in 1972-73 under schemes for Export Promotion etc. will also be taken into account for determining quantity utilised/held in stock by the newspapers in 1972-73. For the purpose, information shall be furnished in Annexure IV to this Public Notice/Columns 11 and 12 of Actual Users application ('J' form).

XI. The number of copies distributed free, unsold returns or any other copies printed but, neither sold nor distributed free will be taken in to consideration for purpose of allotment/consumption of newsprint, provided these represent a reasonable percentage of the print-order and not in any case exceeding the following limits :—

Circulation	Dailies tri- and bi-weeklies	Weeklies and Fort-nightlies	Monthlies Quarterlies and others
Upto 2,500	10%	20%	25%
Between 2, 500 and 5,000	10%	15%	20%
Between 5,000 and 10,000	10%	10%	15%
Above 10,000	5%	5%	10%

XII. Where the newspapers/periodicals have not supplied copies of their issues stated to be published in the year 1972-73, as required under Section 11B of the Press and Registration of Books Act, 1867, read with Rule 5 of Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956, the consumption worked out *vide* Remark X above, will be subjected to a cut as follows:—

Regularity of more than 50% and less than 75%	25%
Regularity of more than 25% and less than 50%	50%

No quota will be released to newspapers whose regularity is less than 25%

XIII. Newspapers whose entitlement for newsprint is and who apply for a licence for less than forty tonnes per annum shall be exempted from payment of import licence application fee and production of Income-tax Verification Number.

XIV. (a) If any Actual User is not in a position to import newsprint against the licence issued, the Actual User may apply, for a 'Letter of Authority' in favour of the party through whom it is desired to effect import, provided such party holds quota certificate (s) for newsprint or is the sole agent of the foreign suppliers.

(*b*) Licences for glazed/rotogravure and standard newsprint will be issued on annual basis subject to the condition prescribed for annual licences in the Red Book for the year April 73—March 74. These licences will, however, be subject to the condition that they can be utilised only upto 50% of the quantity and value covered by them upto the 30th September, 1973. It will not be necessary for the actual users to return licences for glazed/rotogravure and standard newsprint for endorsement in respect of utilisation of the balance 50%. Licences issued for standard and glazed/rotogravure newsprint for an annual entitlement upto Rs. 20,000/- in terms of value can be utilised in one lot at any time within their validity and will not be subject to the condition regarding utilisation of 50% only upto 30 the September, 1973.

XV. For the purpose of this Publice Notice, the Registrar of Newspapers for India may make such marginal adjustments in the distribution of Nepa and imported newsprint as may be necessary in the light of Remarks VI and VIII (*f*).

ANNEXURE II

Form of Chartered Accountants's Certificate regarding Circulation etc. for the Period April 1972—March 1973.

(To be typed on the letter head of the Chartered Accountant)

1. Name of Newspaper Periodical.
2. Place of Publication.
3. Language.
4. Periodicity.

	April 72	May 72	June 72	July 72	August 72	Sept. 72	Oct. 72	Nov. 72	Dec. 72	Jan. 73	Feb. 73	March 73	Average for the period from 1-4-72 to 31-3-73
(a) Average number of copies printed monthwise, per publishing day from 1-4-72 to 31-3-73.													
(b) Average number of copies sold, *monthwise*, per publishing day from 1-4-72 to 31-3-73.													
(c) Average number of copies distributed free, monthwise per publishing day (including complimentary, voucher, exhange bonus, samples and office copies) from 1-4-72 to 31-3-73.													
(d) Average number of monthwise unsold returns and other copies printed, but not included in (b) & (c).													
(e) Average size of the page monthwise of the newspaper/periodical in Sq. Cms. from 1-4-72 to 31-3-73.													

	April	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	March	Average for the period from 1-4-72 to 31-3-73
(f) Average number of pages, monthwise of the newspapers / periodical per publishing day from 1-4-72 to 31-3-73.													
(g) Actual number of publishing days, monthwise from 1-4-72 to 31-3-73.													

Signature of the Publisher ——————
Date——————

CERTIFICATE OF THE CHARTERED ACCOUNTANT

I/We have examined the books and account of——————published from——————
(name of the paper, language & periodicity)
——————for the period 1-4-72 to 31-3-73 and have
(Address)
obtained all the information and explanations required by us. In my/our opinion, the statement set forth above reflects true and correct analysis of circulation, pages, size and number of publishing days for the period from 1-4-72 to 31-3-73 to the best of my/our information and belief and according to the explanation given to me/us by the books of account etc.

Signature ——————

Date——————
Stamp of the Chartered Accountant.

1. Name and signature of the person who has signed the Certificate ——————
2. Registration No.——————
3. Address ——————

N.B. The Chartered Accountant's Certificate regarding average circulation per publishing day showing separately, the average number of copies, printed, sold and distributed free etc., number of pages and page-area should be furnished, if monthwise average circulation exceeds 2,000 copies. If the monthwise average circulation is 2,000 copies or below, particulars in the above annexure should be furnished under the signature of the Publisher.

ANNEXURE III

Notes—1. The following clearance particulars are required to be furnished in the case of all new dailies and periodicals, applying for newsprint. Existing dailies and periodicals, which were not allowed newsprint in the past have also to furnish the particulars.

2. These clearance particulars may be sent along with an application (in duplicate) in the latest Actual User's form (Form 'J').

3. All answers should be given in words. Dashes or cross marks should not be used.

1. Title of the newspaper.

2. Language.

3. Periodicity:—

(in the case of a daily, it may be stated whether the paper is published on all the seven days of a week. In the case of a weekly, it may be indicated whether it is published every week or four time in a month).

4. Full postal address of the paper.

5. In case the paper has not yet commenced publication:

(*a*) the proposed date of publication:
(*b*) the proposed size of *one* page of the paper:
(*i*) Length——————————————— Centimetres,
(*ii*) Width——————————————— Centimetres.
(*iii*) Page-area——————————————— Sq. Centimetres.
(*c*) Average number of pages per copy of the proposed paper.
(*d*) The proposed average circulation:
(*i*) Average number of copies proposed to be printed.
(*ii*) Average number of copies expected to be sold.

6. (*a*) Name and address of owner

(*b*) If the owner is a company, firm, etc., name(s), address(es), etc. of Director(s), Shareholders, partners, etc.*

(*c*) Are/Were the owner (which term includes a company, firm, etc.) and any of the persons whose names are required to be given against (b) above associated at present or at any time since 1962 with the publication of any other paper ?@

(*d*) If the reply to (*c*) above is in the affirmative, names of owner etc. and details of the newspapers with which they are associated may be given in the following form:—

	Name		*Address*	
	Name	Address	Whether Director Partner etc.	Percentage of shares held in the company.

S. No.	Name of owner etc.	Details of paper with which associated.		Period of Association		Capacity in which associated	If a share holder in the company etc. mentioned in Col. 4 percentage of shares held.
		Title, Language periodicity and place of publication	If the paper is run by a company etc.	From	To		
1	2	3	4	5	6	7	8

7. (*a*) Are/Were any member of the †family of the owner of any of the persons whose names are required to be given against (*b*) above associated at present or at any time since 1962 with the publication of any other paper ?

(*b*) If the reply to (*a*) is in the affirmative, names of the members of family and details of the newspapers with which associated may be given in the following form.

(*i*)

S.No.	Name of Owner etc. whose member of family is associated with another paper	Name of the member of the family concerned	Address of the member of the family	Relationship with the owner etc.
1	2	3	4	5

(*ii*)

S. No.	Name of the member of family	Details of papers with which connected		Period of Association		Capacity in which associated	If a share holder in the company etc. mentioned in Col. 4, percentage of shares held
		Title. Language, Periodicity and place of publication	If the paper is run by a company etc. the name of the company etc.	From	To		
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Classification % (Nature of contents) of the paper

Signature of the Publisher ——————
Name (in block letters)——————

Place——————
Date ——————

**Item 6(b)*—Information is required to be given about the following categories of persons :—

S. No.	Ownership type	Category of persons in respect of whom information is required.
1.	Company	(*a*) Directors. (*b*) Shareholders holding a share of 10% or more.
2.	Firm	Partners.
3.	Society	(*a*) Members holding a share of 10% or more. (*b*) Office bearers and members of the Managing body.
4.	Association	Office bearers and members of the Managing body.
5.	Trust	Trustees.

@Items 6(c) and 7(a) —Information about association with the following categories of papers is also to be given:—

(1) A different edition of the paper for which newsprint is being applied for.

(2) A paper with the same title as that of the paper for which newsprint is being applied for, but in a different language or with a different periodicity.

+ *Item* 7(*a*)—Member of family for the purpose of this statement means a member of family (father, mother, wife/husband, brother, brother's wife, sister, son, daughter-in-law, daughter, etc.) who are members of a joint family or are dependent on the owner, Director, etc.

% *Item* 8—The paper may be placed in one of the following categories:—

News and Current Affairs; Literary and Cultural; serialised fiction; religion and philosophy; Commerce and Industry, Journals meant primarily to promote sale of goods or services; House Journals/Magazines brought out by individuals/firms/industrial concerns; price lists and catalogues; Medicine and Health; Film; Social Welfare; Labour; Education; School/College Magazines; Teaching Journals/Teaching Guides; Law and Public Administration; Engineering and Technology; Agriculture and Animal Husbandry; Children; Transport and Communication; Insurance; Banking and Co-operation; Science; Finance and Economics; Women; Art; Radio and Music; Sports; Racing Guides.

ANNEXURE IV

Statement showing consumption of newsprint for publication of newspapers/periodicals during the period from 1-4-72 to 31-3-1973.

S. No.	Title of the paper, its language, periodicity and place of publication	Consumption of Newsprint (in tonnes)						Remarks
		Glazed		Rotogravure	Unglazed (imported)	Nepa	Total	
		Gms.	Gms.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Signature of the Publisher _____
Name in Block letters _____
Place _____
Date _____

Note : Consumption of newsprint against regular entitlements and export promotion entitlement to be furnished separately.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियन्त्रण

नई दिल्ली, 19 जुलाई 1973

विषय :—वर्ष अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 के लिए (क्रम संख्या 44/पांच)—अखबारी कागज-मुद्रण तथा लिखने के लिए कागज (लैण्ड मार्क कागज को छोड़ कर) जिसमें यान्त्रिक काष्ठ लुगदी अन्तर्विष्ट है जो तन्तुक अन्शों के 70 प्रतिशत की मात्रा से कम नहीं है, के लिए आयात नीति ।

संख्या 119/आई० टी० सी० (पी एन)/73.—वर्ष अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 के लिए अखबारी कागज की आयात नीति (क्रम संख्या 44/पांच) इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट 1 से 4 तक में दी गई है और यह 1 अप्रैल, 1973 से लागू होगी ।

परिशिष्ट 1

आयात व्यापार नियन्त्रण अनुसूची की क्रम संख्या और भाग	ब्यौरा	लाइसेन्स प्राधिकारी	निर्धारित आयातकों के लिए नीति	लाइसेन्स की वैधता	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
44/पांच	सफ़ेद अखबारी कागज (लैण्ड मार्क कागज को छोड़कर), जिसमें रेशे की मात्रा के कम से कम 70 प्रतिशत के बराबर यान्त्रिक क्रिया से तैयार की गई लकडी लुगदी हो ।	मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय	कोई नहीं	12 मास	1. अखबारी कागज के लिए जारी किया गया लाइसेन्स चमकीले (वाटरलाइण्ड) अखबारी कागज के आयात के लिए भी वैध होगा, बशर्ते कि इसमें रेशे की मात्रा के कम से कम 70 प्रतिशत के बराबर यान्त्रिक क्रिया से तैयार की गई लकडी की लुगदी हो और प्रति वर्ग-

1	2	3	4	5	6
					मीटर उसका वजन 51–52±4 प्रति-शत ग्राम से कम न हो ।
					2. समाचारपत्रों और नियतकालिक पत्रों के प्रकाशकों और/या मुद्रकों के लिए वास्तविक उपयोक्ता ।
					3. समाचारपत्रों और नियतकालिक पत्रों के प्रकाशकों और/या मुद्रकों को अख-बारी कागज के लिए "जे" फार्म में वास्त-विक उपयोक्ता आवेदन-पत्र की दो प्रतियां पूरी तरह से भर कर भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजनी होगी ।
					4. अखबारी कागज के लिए आयात लाइ-सेन्स देने के बारे में समाचारपत्रों के रजि-स्ट्रार द्वारा 1 अक्टूबर 1973 तक एतदर्थ प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर विचार किया जायेगा ।
					5. (क) किसी समाचार-पत्र / नियतकालिक पत्र की अखबारी कागज की मूल हक-दारी का निश्चय

1	2	3	4	5	6
					भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार नई दिल्ली [illegible] करेंगे । इसका आधार उस समाचार पत्र / नियतकालिक पत्र की 1972–73 में वास्तविक खपत होगी जो इस अवधि के लिए अधिकृत अखबारी कागज का इस्तेमाल कर वास्तव में प्रकाशित औसत प्रचार संख्या, औसत पृष्ठ संख्या तथा औसत पृष्ठ क्षेत्र को ध्यान में रखकर निश्चित की जायेगी ।
					5. (ख) इस प्रकार टिप्पणी 6 के साथ पठित टिप्पणी 5(क) के अधीन तय की गई किसी समाचार पत्र / नियतकालिक पत्र की आयातित अखबारी कागज की मूल हकदारी में 1973–74 के लिये आयातित अखबारी कागज की कम मात्रा में उपलब्धि के कारण 30 प्रतिशत की कमी की जायेगी। अखबारी कागज की उपलब्धि में कुछ भी सुधार होने पर, लगाई गई

1	2	3	4	5	6
					कटौती की उसी प्रतिशतता के अनुसार बहाली की जाएगी ।
					5.(ग) इस प्रकार निश्चित हकदारी के अनुसार अखबारी कागज का आवण्टन विदेशी मुद्रा या अखबारी कागज या उनमें से किसी एक या दोनों की उपलब्धता पर निर्भर है । किसी एक या दोनों में कमी हो जाने पर, उपयुक्त और कटौती की जायेगी ।
					5.(घ) किसी समाचार-पत्र / नियतकालिक पत्र की अखबारी कागज की मूल हकदारी का आधार, जैसा की ऊपर बताया गया है, उन समाचार पत्रों / नियतकालिक पत्रों पर लागू नहीं होगा जिनकी प्रचार संख्या की भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार की सर्कुलेशन टीमों द्वारा जांच की गई हो और वह उनके दावे से कम आंकी गई हो । इनकी अखबारी कागज की हकदारी निश्चित करने का आधार एक

1	2	3	4	5	6
					और अंकी गई प्रचार संस्था होगी तथा दूसरी ओर क्लेम की गई 1972-73 में औसत पृष्ठ संख्या और औसत पृष्ठ क्षेत्र होंगे । 5(ङ) मानक अखबारी कागज और नेपा अखबारी कागज के भी हकदारी का हिसाब 53 ग्राम पर लगाया जायेगा । 5(च) हकदारी का 7 प्रतिशत आने-जाने और/या मशीन रूम में खराब हो जाने वाले कागज की क्षति-पूर्ति के लिए दिया जायेगा । 5(छ) नेपा अखबारी कागज की हकदारी का अतिरिक्त 10 प्रतिशत अधिक ग्रामों की क्षति पूर्ति के रूप में दिया जाएगा । 6. अखबारी कागज की हकदारी की पूर्ति उपर्युक्त टिप्पणी 5 की शर्तों के अनुसार आवेदकों के नाम आयात लाइसेंस (सों) या प्राधिकरण (णों) को जारी कर निम्नलिखित तरीके से की जायेगी:—

वार्षिक हकदारी	आयातित अखबारी कागज की स्वीकृत मात्रा	नेपा कारखाने द्वारा निर्मित देशी अखबारी कागज की स्वीकृत मात्रा	मुक्त संसाधनों से सीधे लाइसेन्स द्वारा स्वीकृत मात्रा	सूचीबद्ध आयातों से स्वीकृत मात्रा
1	2	3	4	5
मानक अखबारी कागज तथा देशी अखबारी कागज				
दैनिक समाचार पत्र (रविवारीय संस्करणों सहित) :				
(क) 100 टन से कम	100 प्रतिशत	कुछ भी नहीं	100 प्रतिशत	कुछ भी नहीं
(ख) 100 टन या इससे अधिक किन्तु 400 टन से कम	100 प्रतिशत	कुछ भी नहीं	राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली द्वारा विदेशी सम्भरकों के साथ किए हुए ठेकों के आधार पर भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा निश्चित किया जाना है ।	
(ग) 400 टन या इससे अधिक किन्तु 1000 टन से कम	90 प्रतिशत	10 प्रतिशत		
(घ) 1000 टन या इससे अधिक, किन्तु 2000 टन से कम	80 प्रतिशत	20 प्रतिशत		
(ङ) 2000 टन और इससे अधिक	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत		
नियतकालिक पत्र :				
(क) 100 टन से कम	100 प्रतिशत	कुछ भी नहीं	100 प्रतिशत	कुछ भी नहीं
(ख) 100 टन से ऊपर	100 प्रतिशत	कुछ भी नहीं	राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली द्वारा विदेशी सम्भरकों के साथ किए हुए ठेकों के आधार पर भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा निश्चित किया जाना है ।	
चमकीला (ग्लेज्ड) अखबारी कागज :				
सारी हकदारी	100 प्रतिशत	कुछ भी नहीं	100 प्रतिशत	कुछ भी नहीं

नोट:—

(1) 'मुक्त संसाधनों' से लाइसेंस प्राप्त मानक अखबारी कागज का आयात, समाचारपत्र को भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा विदेश स्थित विशिष्ट सम्भरक के साथ किए गए ठेकों के अनुसार करना पड़ेगा। चूंकि सम्भरक 100

टन से कम का आर्डर स्वीकार नहीं करते, इसलिए 1000 टन से कम की हकदारी वाले समाचारपत्रों को सीधा लाइसेंस दिया जाएगा, बशर्ते कि वे निर्धारित आयातक के द्वारा आयात की व्यवस्था करे तथा 'जे' फार्म में उसका उल्लेख करे। अन्यथा, उन्हें भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड से अखबारी कागज पाने की स्वीकृति दी जाएगी ।

(2) (क) ग्लेज्ड/रोटोग्रेव्यूर अखबारी कागज उन नियतकालिक पत्रों को अलाट किया जाएगा जो इसके लिए टिप्पणी 5(क) के अधीन निश्चित हुए अपनी हकदारी के 40 प्रतिशत तक विशिष्ट रूप से आवेदन करेंगे। टिप्पणी 5(ख) में निर्विष्ट 30 प्रतिशत की कटौती के बाद हकदारी के शेष 30 प्रतिशत की पूर्ति अनग्लेज्ड अखबारी कागज से की जायेगी ।

(ख) उन नियतकालिक पत्रों को, जिनकी ग्लेज्ड/रोटोग्रेव्यूर की हकदारी 50 टन से अधिक है, ग्लेज्ड (60 ग्राम) और रोटोग्रेव्यूर (55 ग्राम) समान अनुपात से दिया जाएगा । ऐसे नियतकालिक पत्रों, जिनकी ग्लेज्ड/रोटोग्रेव्यूर अखबारी कागज की हकदारी 10 टन से कम है, को भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० के माध्यम से 56 सेन्टीमीटर और/या 76 सेन्टीमीटर साईज की रीलों में कागज प्राप्त करने के लिए अधिकार-पत्र दिया जायेगा ।

(3) सभी श्रेणियों के लिए अखबारी कागज केवल रोलों में दिया जाएगा। जिन समाचार पत्रों की हकदारी 25 टन तक है उन्हें रोलों को शीटों में बिंदलने के लिए मानक अखबारी कागज की 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त मात्रा दी जायेगी ।

(4) क्योंकि नेपा मिलें 10 टन से कम के बन्डल भेजने की स्थिती में नहीं है, इसलिए नेपा अखबारी कागज का आवण्टन 10 टन से कम की मात्रा में नहीं होगा। परन्तु जो प्राप्तकर्ता अपने कोटे के अखबारी कागज की डिलीवरी नेपा मिलों से लेने और उसे ले जाने के लिए तैयार होंगे तो उनको इस कागज का आवण्टन कम मात्रा में किया जा सकेगा ।

(5) उन आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में, जो 1 अक्तूबर, 1973 के बाद प्राप्त होंगे, उनकी हकदारी की कटौती निम्नलिखित प्रकार से की जाएगी :—

(1) 30-11-1973 तक प्राप्त किये गए आवेदन पत्र	10 प्रतिशत
(2) 30-11-1973 के बाद और 1-2-1974 तक प्राप्त किये गए आवेदन पत्र	20 प्रतिशत
(3) 1-2-1974 के बाद और 31-3-1974 तक प्राप्त आवेदन पत्र	40 प्रतिशत

7(क) अखबारी कागज प्रत्येक समाचार-पत्र/नियतकालिक पत्र को अलग-अलग आवण्टित किया जाता है और समाचार पत्र नियतकालिक पत्र अखबारी कागज का प्राप्तकर्ता है। समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों को उस कोटे को जो प्रत्येक को आवण्टित किया जाता है, आपस में समजित करने की अनुमति नहीं होगी, चाहे प्रकाशन एक ही स्वामित्व के अन्तर्गत हो तथा/या एक ही शीर्षक/नाम रखते हों ।

(ख) तथापि, किसी समाचार पत्र/नियतकालिक पत्र को इस नीति के अन्तर्गत आवण्टित अखबारी कागज का अधिकृत कोटा उसी समाचार पत्र/नियतकालिक पत्र के नये 'संस्करण' के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तथा इस प्रकार प्रयुक्त अखबारी कागज की गणना अलग से होगी ।

नोट:

उपर्युक्त प्रयोजन के लिए 'संस्करण' वह समाचार पत्र/नियतकालिक पत्र है जो, चाहे उसका प्रकाशन स्थान कोई भी हो, उसी भाषा में हो, उसका शीर्षक/नाम वही हो/तथा आवधिकता वही हो जो उसी स्वामित्व/प्रबन्ध द्वारा पहले ही प्रकाशित किए जा रहे समाचार-पत्र/नियतकालिक पत्र की है तथा समय की आवश्यकता के कारण तथा शीघ्र वितरण और वर्तमान स्थानीय पाठकों की जरूरतों की पूर्ति के लिए अन्तर सहित उस समाचार-पत्र/नियतकालिक पत्र का पुर्नमुद्रण/पुनः छपाई हो ।

8(क) नये समाचार पत्रों और नियतकालिक पत्रों को अखबारी कागज की उपलब्धता के बारें में अनुमति

अखबारी कागज के कोटे के लिये आवेदन करने के इच्छुक नये दैनिक समाचार पत्रों और नियतकालिक पत्रों के प्रकाशकों को प्रकाशन शुरू करने से पहले भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार से यह अनमति लेनी होगी कि अखबारी कागज मिल सकता है । अखबारी कागज आवण्टित करने की नीति के अन्तर्गत यह अनुमति प्राप्त करने के लिये आवेदन करते समय परिशिष्ट 3 के अनुसार सूचना देनी होगी ।

(ख) **नये दैनिक समाचार-पत्र**

अखबारी कागज की कमी को ध्यान में रखते हुए, नये दैनिक समाचारपत्रों को प्रारम्भिक कोटा दिया जायेगा जिसका निश्चिय पत्र के प्रकाशन शुरु होने के पहले चार महीनों के दौरान प्रति प्रकाशन दिवस के अनुसार मानक आकार (2540.00 वर्ग सेंटीमीटर) के आठ पृष्ठों की तीन हजार प्रतियां तक की औसत प्रचार संख्या के आधार पर भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा किया जायेगा । पहले चार महीनों के लिये राज्य व्यापार निगम के स्टाक से विदेशी अखबारी कागज दिया जायेगा । इसके लिये आवेदन कर्ताओं की वास्तविक उपयोक्ता आवेदन ('जे' फार्म) के दसवें कालम के अनुसार मांगी गई कागज की मात्रा के मूल्य के 75 प्रतिशत के बाण्ड भरने होंगे । किसी अनुसूचित बैंक से इन बाण्डों की गारण्टी दिलानी होगी । ये बाण्ड इसलिए भरने होंगे ताकि यह निश्चित व्यवस्था हो सके कि दिया हुआ विदेशी अखबारी कागज नया दैनिक समाचारपत्र प्रकाशित करने के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है । भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार या आयात-निर्यात मुख्या नियंत्रक को लिखित गवाही से यह विश्वास हो जाने पर कि अखबारी कागज, सम्बद्ध समाचार पत्र के प्रकाशन के लिए इस्तेमाल किया गया है, वह बाण्ड रद्द कर दिया जाएगा । दैनिक समाचार पत्र के नियमित रूप से तीन महीनों तक प्रकाशित होने के बाद नये दैनिक समाचार पत्र को ऐसा प्रमाण (इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट दो में किये गये रूप में चार्टर्ज लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र) देना होगा । जिससे पहले तीन महीनों की औसत प्रचार संख्या, औसत पृष्ठ क्षेत्र और मद्रित पृष्ठों की संख्या मालूम हो सके । नये समाचार पत्रों को तीन महीने के बाद इस अवधि में प्राप्त वास्तविक औसत प्रचार संख्या और वास्तव में मुद्रित औसत पृष्ठ संख्या और पृष्ठ क्षेत्र के आधार पर अखबारी कागज की मात्रा निश्चित की जायेगी किन्तु यह मात्रा मानक आकार के आठ पृष्ठों की 15,000 प्रतियों से अधिक प्रतियों के लिए नहीं होगी ।

(ग) **नये साप्ताहिक, त्रि-साप्ताहिक, द्वि-साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक नियतकालिक-पत्र**

अखबारी कागज की कमी को ध्यान में रखते हुए, नये साप्ताहिक, त्रि-साप्ताहिक, द्वि-साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक नियतकालिक पत्रों को अखबारी कागज का प्रारम्भिक कोटा दिया जायेगा जिसका निश्चय भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा पत्र के प्रकाशन शुरु होने

के पहले चार महीनों के दौरान प्रति प्रकाशन दिवस के अनुसार मानक आकार (2540.00 वर्ग सेंटीमीटर) के आठ पृष्ठों की तीन हजार प्रतियों तक की औसत प्रचार संख्या के आधार पर गणना कर दिया जायेगा। पहले चार महीनों के लिए विदेशी अखबारी कागज दिया जायगा। इसके लिये आवेदन कर्त्ताओं की वास्तविक उपयोक्ता आवेदन ('जे'फार्म) के दसवें कालम के अनुसार मांगी गई कागज की मात्रा के मूल्य के 75 प्रतिशत के बाण्ड भरने होंगे। किसी अनुसूचित बैंक से इन बाण्डों की गारंटी दिलानी होगी। ये बाण्ड इस लिए भरने होंगे ताकि यह निश्चित व्यवस्था हो सके कि दिया हुआ विदेशी अखबारी कागज नया दैनिक समाचारपत्र प्रकाशित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार या आयात निर्यात मुख्य नियन्त्रक को लिखित गवाही से यह विश्वास हो जाने पर कि अखबारी कागज, सम्बन्ध समाचार पत्र के प्रकाशन के लिए इस्तेमाल किया गया है, यह बाण्ड रद्द कर दिया जाएगा। नियमित रूप से तीन महीनों तक प्रकाशित होने के बाद नये साप्ताहिक, त्रि-साप्ताहिक, द्वि-साप्ताहिक पाक्षिक और मासिकनियत-कालिक पत्रों को ऐसा प्रमाण (इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट दो में दिये गये रूप में चार्टर्ड लेखा परीक्षक का प्रमाण-पत्र देना होगा जिससे पहले तीन महीनों की औसत प्रचार संख्या, औसत पृष्ठ क्षेत्र और मुद्रित पृष्ठों की संख्या मालूम हो सके। नये समाचार पत्रों को तीन महीनें के बाद इस अवधि में प्राप्त वास्तविक औसत प्रचार संख्या और वास्तव में मुद्रित औसत पृष्ठ संख्या और पृष्ठ क्षेत्र के आधार पर अखबारी कागज की मात्रा निश्चित की जायगी किन्तु यह मात्रा मानक आकार के आठ पृष्ठों को 15,000 से अधिक प्रतियों के लिए नहीं होगी। किन्तु पाक्षिक और मासिक नियतकालिक पत्रों के लिए अखबारी कागज की मात्रा मानक आकार के 16 पृष्ठों को 15,000 से अधिक प्रतियों के लिए नहीं होगी।

(घ) नये नियतकालिक पत्र (साप्ताहिक, त्रि-साप्ताहिक, द्वि-साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक से भिन्न)

अखबारी कागज की कमी के कारण ऐसे नियतकालिक पत्रों को प्रकाशन के पहले तीन महीनों के लिए अखबारी कागज नहीं दिया जायेगा। तीन महीने तक नियमित रूप से प्रकाशित होने के बाद ऐसे नियतकालिक पत्र को वास्तविक उपयोक्ता फार्म पर आवेदन करना चाहिए। इस आवेदन के साथ परिशिष्ट तीन में मांगी गई सूचना तथा चार्टर्ड लेखा परीक्षक का प्रमाण-पत्र भी देना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र से यह पता चलना चाहिए कि प्रकाशन के पहले तीन महीनों में पत्र की औसत प्रचार संख्या कितनी हो गई तथा मुद्रित पृष्ठों तथा पृष्ठ क्षेत्र का औसत क्या रहा। नये नियतकालिक पत्रों को लाइसेंस देने की शेष अवधि के लिए पहले तीन महीनों की वास्तविक औसत प्रचार संख्या और वस्तुतः मुद्रित मुद्रित औसत पृष्ठ संख्या तथा औसत पृष्ठ क्षेत्र के आधार पर अखबारी कागज देने का निश्चय किया जाएगा किन्तु अखबारी कागज की यह मात्रा इन नियत-कालिक पत्रों के मानक आकार के 16 पृष्ठों को 15,000 प्रतियों से अधिक प्रतियों के लिए नहीं होगी।

(ङ) जिन वर्तमान समाचार पत्रों ने 1972–73 में अखबारी कागज इस्तेमाल करने की अनुमति या लाइसेंस/अधिकार-पत्र नहीं लिया, उन पर पैरा 8(क), (ख), (ग) तथा (घ) की शर्तें लागू होंगी। तथापि, अधिसूचित बैंकों द्वारा गारंटीशुदा बांड देने की शर्त, उन समाचार-पत्रों/नियतकालिक पत्रों के मामलों में हटा दी जाएगी, जो भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार के रिकार्ड पर हैं तथा 1970 या इससे पहले से नियमित रूप से प्रकाशित हो रहे हैं।

(च) उन दैनिक तथा नियतकालिक पत्रों जिनका प्रकाशन 1–4–1973 से पहले प्रारम्भ हुआ था और जिन्हें एक नये दैनिक/नियतकालिक पत्र को दिए जाने वाले अधिकतम अखबारी कागज

से कम मिलता है, की हकदारी इस बारे में दस्तावेजी प्रमाण देने पर दिए जाने वाले अधिकतम कोटे तक संशोधित कर दी जाएगी ।

9. निम्नलिखित वर्गों के समाचारपत्रों को अखबारी कागज नहीं दिया जायेगा चाहे उनका वर्गीकरण समाचारपत्रों में क्यों न हो :

(क) मुख्य रूप से सेवा या सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रकाशित समाचार पत्र ।
(ख) व्यक्तियों/फर्मों/औद्योगिक संस्थाओं द्वारा प्रकाशित निजी पत्र पत्रिकाएं ।
(ग) मूल्य सूचियां तथा सूची पत्र ।
(घ) मुफ्त बांटा जाने वाला साहित्य ।
(ङ) कथा साहित्य ।
(च) रेस (धावन प्रतियोगिता) के गाइड ।
(छ) विद्यालयों/महाविद्यालयों की पत्रिकाएं ।
(ज) अध्यापन पत्रिकाएं/अध्यापन गाइड ।

10. यदि किसी समाचार पत्र/नियतकालिक पत्र ने 1972–73 में स्वीकृत पूरी मात्रा, जिसमें स्वतन्त्रता की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए स्वीकृत अतिरिक्त कोटा भी शामिल है, का उपयोग नहीं किया है तो बची हुई यह मात्रा 1973–74 के स्वीकृत मात्रा में शामिल कर ली जाएगी । समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों की इस सार्वजनिक सूचना के दूसरे और चौथे परिशिष्टों में दिये गये फार्मों के अनुसार 1972–73 के वर्ष के लिये मासिक प्रचार संख्या, पृष्ठ संख्या, पृष्ठ क्षेत्र और प्रकाशन-दिवस-संख्या का विवरण भेजना चाहिये जिसे देखकर भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार यह पता लगा सकें कि 1972–73 में कितने अखबारी कागज की खपत हुई । 1972–73 की खपत इस अवधि के वास्तविक प्रकाशन दिवसों के आधार पर निश्चित की जाएगी । उपरोक्त परिशिष्ट दो में दी गई सूचनाएं किसी चार्टर्ड लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए । यदि किसी समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र की प्रचार संख्या प्रति प्रकाशन दिवस 2,000 प्रतियों से कम है तो उसे चार्टर्ड लेखा परीक्षक का प्रमाण-पत्र देने की आवश्यकता नहीं है ।

नोट :—समाचार पत्रों द्वारा इस्तेमाल की गई/स्टाक में जमा अखबारी कागज की मात्रा का हिसाब लगाते समय निर्यात संवर्धन आदि योजनाओं के अधीन 1972–73 में दिये गये अखबारी कागज का भी हिसाब रखा जाएगा । इससे सम्बद्ध विवरण सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट चार और वास्तविक उपयोक्ता आवेदन ('जे' फार्म) के 11वें और 12वें खाने में दिया जाना चाहिए ।

11. अखबारी कागज देने या इसकी खपत का हिसाब लगाने के लिये समाचार पत्र को मुफ्त भेजी गई प्रतियों, बिना बिकी लौटाई गई प्रतियों और ऐसी प्रतियों का भी हिसाब लगाया जाएगा जो न तो मुफ्त में दी गई हैं और न बिकी हैं, बशर्ते इनकी मात्रा मुद्रण-आदेश के उचित प्रतिशत के अनुसार हो और किसी भी हालात में निम्नलिखित सीमाओं से अधिक न हों :—

प्रचार-संख्या	दैनिक, त्रि-साप्ताहिक और द्वि-साप्ताहिक	साप्ताहिक और पाक्षिक	मासिक, त्रै-मासिक और अन्य
2,500 तक	10 प्रतिशत	20 प्रतिशत	25 प्रतिशत
2,500 और 5,000 के बीच	10 प्रतिशत	15 प्रतिशत	20 प्रतिशत
5,000 और 10,000 के बीच	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत	15 प्रतिशत
10,000 से अधिक	5 प्रतिशत	5 प्रतिशत	10 प्रतिशत

12. जिन समाचार पत्रों/नियतकालिक पत्रों ने प्रेस और पुस्तक पंजीकरण कानून 1867 की धारा 11ख और समाचारपत्र पंजीकरण (केन्द्रीय) नियम 1956 के अधीन 1972–73 में प्रकाशित प्रतियां नहीं भेजी हैं उनके बारे में उपरोक्त 12वीं टिप्पणी के अनुसार अखबारी कागज की खपत में निम्नलिखित कटौती की जायेगी :—

50 प्रतिशत से अधिक किन्तु 75 प्रतिशत से कम नियमितता	25 प्रतिशत
25 प्रतिशत से अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम नियमितता	50 प्रतिशत

जिन समाचार पत्रों की नियमितता 25 प्रतिशत से कम है उन्हें कोई कोटा नहीं दिया जाएगा ।

13. जिन अखबारों को अखबारी कागज मिल सकता है और जो 40.00 टन वार्षिक से कम मात्रा के लिए लाइसेंस लेना चाहते हैं उन्हें आयात लाइसेंस फीस नहीं देनी होगी और न ही आय कर प्रमाणीकरण संख्या देनी होगी ।

14(क). यदि कोई वास्तविक उपयोगकर्ता मिले हुए लाइसेंस से अखबारी कागज का आयात नहीं करता तो वह ऐसी किसी फर्म या व्यक्ति के नाम अधिकार पत्र जारी करने को लिख सकता है जिसके द्वारा वह यह कागज आयात करना चाहता है बशर्ते उस फर्म या व्यक्ति के पास अखबारी कागज का कोटा सर्टिफिकेट हो अथवा वह माल भेजने वाली विदेशी कम्पनी का सोल एजेंट हो ।

(ख). ग्लेज्ड/रोटोग्रेवर तथा स्टैण्डर्ड अखबारी कागज के लिए लाइसेंस आर्थिक आधार पर अप्रैल, 1973 से मार्च, 1974 तक के वर्ष की आयात निर्यात नीति पुस्तक (रेड बुक) में वार्षिक लाइससों के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार दिये जायेंगे । किन्तु इन लाइसेंसों पर यह शर्त लागू होगी कि लाइसेंस में निर्धारित मात्रा और लागत का आधा कागज 30 सितम्बर, 1973 तक इस्तेमाल किया जा सकेगा । शेष 50 प्रतिशत कागज का उपयोग करने के लिए वास्तविक उपयोक्ता के लिये लौटाने की आवश्यकता नहीं होगी । स्टैण्डर्ड तथा ग्लेज्ड/रोटोग्रेवर अखबारी कागज के जिन लाइसेंसों में कागज का मूल्य 20 हजार तक का होगा उन्हें किसी भी समय लाइसेंस की निश्चित अवधि के अन्दर एक ही बार में इस्तेमाल किया जा सकेगा । इन पर 30 सितम्बर, 1973 तक लाइसेंस की आधी मात्रा मंगाने की शर्त लागू नहीं होगी ।

15. इस सार्वजनिक सूचना के प्रयोजन के लिये भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार आवश्यक होने पर टिप्पणी 6 तथा 8(च) को ध्यान में रखते हुए नेपा तथा विदेशी अखबारी कागज वितरण में छोटे-मोटे परिवतन कर सकेंगे ।

परिशिष्ट 2

अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 की अवधि के लिए प्रचार संख्या आदि के सम्बंध में चार्टर्ड एकाउंटेंट के प्रमाण-पत्र की फार्म

(यह प्रमाण-पत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट के सरनामे पर टाइप किया जाए)

1. समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र का नाम
2. प्रकाशन का स्थान
3. भाषा
4. आवर्तिता (पिरियोडिसिटी)

अप्रैल 72	मई 72	जून 72	जुलाई 72	अगस्त 72	सितम्बर 72	अक्टूबर 72	नवम्बर 72	दिसम्बर 72	जनवरी 73	फरवरी 73	मार्च 73	1-4-72 से 31-3-73 तक की अवधि का औसत ।
(क) 1-4-72 से 31-3-73 तक प्रति प्रकाशन दिवस के हिसाब से छापी गई प्रतियों की औसत संख्या (माहवार)												
(ख) 1-4-72 से 31-3-73 तक प्रति प्रकाशन दिवस के हिसाब से बेची गई प्रतियों की औसत संख्या (माहवार)												
(ग) 1-4-72 से 31-3-73 तक प्रति प्रकाशन दिवस												

के हिसाब से मुफ्त बांटी गई प्रतियों (मानार्थ, वाउचर, विनिमय, बोनस, नमूने और कार्यालय प्रतियों समेत) की औसत संख्या (माहवार)

(घ) अनबिकी और अन्य मुद्रित प्रतियों की औसत संख्या (माहवार) जो (ख) और (ग) में शामिल नहीं की गई

(ङ) 1-4-72 से 31-3-73 तक समाचार/नियतकालिक पत्र के पृष्ठों का औसत आकार (वर्ग सैंटीमीटर में) (माहवार)

(च) 1-4-72 से 31-3-73 तक प्रति प्रकाशन दिवस के हिसाब से समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र पृष्ठों की औसत संख्या (माहवार)

	अप्रैल 72	मई 72	जून 72	जुलाई 72	अगस्त 72	सितम्बर 72	अक्टूबर 72	नवम्बर 72	दिसम्बर 72	जनवरी 73	फरवरी 73	मार्च 73	1-4-72 से 31-3-73 तक की अवधि का औसत।
(छ) 1-4-72 से 31-3-73 तक प्रकाशन दिवसों की वास्तविक संख्या (माहवार)													

प्रकाशक के हस्ताक्षर

तिथि

चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाण-पत्र

मैंने/हमने 1-4-72 से 3-13-73 तक की अवधि तक से प्रकाशित (पत्र का नाम, भाषा और आवर्तिता) के हिसाब किताब की जांच कर ली है और अपने लिए आवश्यक सभी जानकारी और विवरण प्राप्त कर लिया है। मेरे/हमारे विचार से 1-4-72 से 31-3-73 तक की अवधि के लिए दिया गया उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास तथा हिसाब किताब आदि में मुझे/हमें दिखाए गए विवरण के अनुसार प्रचार संख्या, पृष्ठों की संख्या, आकार और प्रकाशन दिवसों की संख्या का सही विश्लेषण है।

तारीख

हस्ताक्षर

1. प्रमाणपत्र देने वाले व्यक्ति का नाम तथा हस्ताक्षर
2. पंजीकरण संख्या
3. पता

टिप्पणी :—यदि माहवारी औसत प्रचार संख्या 2000 प्रतियों से अधिक हो तो अलग से प्रत्येक प्रकाशन दिवस के हिसाब से मुद्रित, बेची गई, मुफ्त बांटी गई आदि प्रतियों की औसत संख्या, पृष्ठ संख्या और पृष्ठ के बारे में चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए। यदि माहवारी प्रचार संख्या 2000 प्रतियों या उससे कम हो तो उपरोक्त परिशिष्ट का विवरण प्रकाशक के हस्ताक्षर से ही भेजा जाना चाहिए।

परिशिष्ट–3

टिप्पणी 1. अखबारी कागज के लिये आवेदन देने वाले सभी नये दैनिकों और नियतकालिक पत्रों के निकासी सम्बन्धी निम्नलिखित विवरण दिया जाना आवश्यक है। ऐसे दैनिकों और नियतकालिक पत्रों को भी, जिन्हें पहले अखबारी कागज नहीं दिया गया है, यह विवरण देना है ।

2. निकासी सम्बन्धी यह विवरण, नवीनतम वास्तविक उपयोक्ता फार्म (फार्म 'जे') में आवेदन (2 प्रतियां) के साथ किया जा सकता है ।

3. सभी उत्तर शब्दों में दिये जाने चाहियें । डैश और काटने के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये ।

1. [समाचार पत्र का नाम

2. [भाषा

3. [आवर्तिता (दैनिक के मामले में यह बताया जाये कि इसका प्रकाशन सप्ताह में सातों दिन या कम दिन होता है। साप्ताहिक के मामले में यह सूचना दी जाये कि यह हर सप्ताह प्रकाशित होता है या महीने में चार बार)

4. [पत्र का पूरा (डाक) पता

5. [अगर पत्र का प्रकाशन शुरू नहीं हुआ [है [तो
 (क) प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि]

 (ख) पत्र के एक पृष्ठ का प्रस्तावित आकार :—

 (1) लम्बाई.....सेंटीमीटर

 (2) चौड़ाई सेंटीमीटर

 (3) पृष्ठ क्षेत्र वर्ग सेंटीमीटर

 (ग) प्रस्तावित पत्र की प्रत्येक प्रति की औसत पृष्ठ संख्या

 (घ) प्रस्तावित औसत प्रचार संख्या

 (i) प्रस्तावित मुद्रित प्रतियों की औसत संख्या

 (ii) अनुमानित बिक्री की प्रतियों की औसत संख्या

6. (क) मालिक का नाम और पता		नाम		पता	
(ख) अगर मालिक कम्पनी, फर्म आदि हो तो उसके/उनके निदेशक(गें), शेयर होल्डर(गें), हिस्सेदार(गें) आदि का/के नाम और पता/पते	नाम	पता	निदेशक, हिस्सेदार आदि जो हो	कम्पनी में शेयर का प्रतिशत	
(ग) क्या मालिक (कम्पनी, फर्म आदि) और ऊपर (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों में कोई इस समय या 1962 से कभी किसी अन्य पत्र के प्रकाशन से सम्बद्ध रहा है/रहे हैं ।					
(घ) अगर ऊपर (ग) कम उत्तर 'हां' है तो मालिक आदि का/के नाम और उन समाचारपत्रों का ब्यौरा, जिससे वे सम्बद्ध रहे हैं, निम्नलिखित फार्म में दिया जाये :—					

	जिस पत्र से सम्बद्ध हो उसका ब्यौरा			सम्बद्ध रहने की अवधि		किस हैसियत से सम्बद्ध रहे	अगर कालम 4 में उल्लिखित कम्पनी आदि में शेयर होल्डर हो तो शेयर का प्रतिशत
क्रम संख्या	मालिक आदि का नाम	नाम, भाषा आवर्तिता और प्रकाशन का स्थान	अगर पत्र का संचालन कम्पनी आदि से होता है	से	तक		
1	2	3	4	5	6	7	8

7. (क) क्या मालिक या ऊपर (ख) में उल्लिखित किसी व्यक्ति के परिवार का/के कोई सदस्य इस समय या 1962 से कभी किसी अन्य पत्र के प्रकाशन से सम्बद्ध रहा/रहे हों ?

1	2	3	4	5	6	7	8

(ख) अगर ऊपर (क) का उत्तर "हां" है तो परिवार के सदस्यों के नाम और उन समाचार-पत्रों का ब्यौरा जिनसे सम्बद्ध रहे हों, निम्नलिखित फार्म में दिया जाये :—

(i)

क्रम संख्या	मालिक आदि का नाम जिसके परिवार का सदस्य अन्य पत्र से सम्बद्ध हो	सम्बन्धित परिवार के सदस्य का नाम	परिवार के सदस्य का पता	मालिक आदि से उस का सम्बन्ध
1	2	3	4	5

(ii)

क्रम संख्या	परिवार के सदस्य का नाम	उन पत्रों का ब्यौरा जिनसे सम्बन्धित हो		सम्बद्ध रहने की अवधि		किस हैसियत से सम्बद्ध रहे	अगर कालम 4 में उल्लिखित कम्पनी आदि में शेयरहोल्डर हों तो शेयर का प्रतिशत
		नाम भाषा आवर्तिता और प्रकाशन का स्थान	अगर पत्र का संचालन कम्पनी आदि से होता हो तो कम्पनी आदि का नाम	से	तक		
1	2	3	4	5	6	7	8

8. पत्र का वर्गीकरण प्रतिशत (विषयानुसार)

स्थान प्रकाशक के हस्ताक्षर.....

तिथि पूरा नाम

मद 6 (ख)–निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों के बारे में जानकारी अपेक्षित है :—

क्रम संख्या	स्वामित्व	जिस श्रेणी के व्यक्तियों के बारे में जानकारी अपेक्षित है
1	कम्पनी	(क) निदेशक (ख) 10 प्रतिशत या अधिक शेयर वाले शेयर होल्डर
2	फर्म	हिस्सेदार
3	समिति	(क) 10 प्रतिशत या अधिक शेयर वाले सदस्य (ख) प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी और सदस्य
4	संघ (एसोसिएशन)	प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी और सदस्य
5	ट्रस्ट	ट्रस्टी

मद 6(ग) और 7(क)–निम्नलिखित श्रेणियों के पत्रों से सम्बद्ध होने के बारे में भी जानकारी दी जानी है :—

(1) पत्र का भिन्न संस्करण, जिसके लिये अखबारी कागज का आवेदन दिया जा रहा हो ।

(2) समान नाम के पत्र, जिसके लिये अखबारी कागज का आवेदन दिया जा रहा हो, लेकिन जिसकी भाषा और आवर्तिता भिन्न हो ।

मद 7(क)–इस विवरण के लिये परिवार के सदस्य से अभिप्राय परिवार के ऐसे सदस्यों (पिता, माता, पत्नी,/पति, भाई, भाई की पत्नी, बहन, पुत्र, पुत्रबधु, पुत्री आदि)से है जो संयुक्त परिवार के सदस्य हों या मालिक निदेशक आदि पर आश्रित हों ।

मद 8–पत्र इनमें से किसी वर्ग में दिखाया जाये :—

समाचार और सामयिक विषय ; साहित्यिक और सांस्कृतिक, (धारावाहिक उपन्यास ; धर्म और दर्शन ; वाणिज्य और उद्योग ; सेवाओं और समान की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से निकाली गयी पत्रिकायें ; प्रतिष्ठान पत्रिकायें ; व्यक्तियों/फर्मों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा निकाली गई पत्रिकायें ; मूल्य सूची और विवरण ; दवा और चिकित्सा; फिल्म; समाज कल्याण; श्रम; शिक्षा ; स्कूल/कालेज की पत्रिकायें; अध्यापन पत्रिकायें/ अध्यापन गाइड; कानून और लोक प्रकाशन; इंजीनियरी और टेक्नालाजी; कृषि और पशु पालन; बालोपयोगी, परिवहन और संचार; बीमा, बैंकिंग और सहकारिता; विज्ञान; वित्त और अर्थशास्त्र; महिला पत्रिकायें; रेडियो और संगीत; खेल-कूद; रेसिंग गाइड) ।

परिशिष्ट 4

1-4-72 से 31-3-73 तक की अवधि में समाचार पत्रों/नियतकालिक पत्रों के प्रकाशन में अखबारी कागज की खपत का विवरण

क्रम संख्या	पत्र का नाम, भाषा आवर्तिता और प्रकाशन का स्थान	अखबारी कागज की खपत (टनों में)						विशेष
		ग्लेज्ड		रोटोग्रव्यर	अनग्लेज्ड (आयातित)	नेपा	कुल	
		ग्राम	ग्राम					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रकाशक के हस्ताक्षर

पूरा नाम

स्थान

तिथि

टिप्पणी :—नियमित हकदारी और निर्यात प्रोत्साहन संबंधी हकदारी से संबंधित अखबारी कागज की खपत का विवरण अलग से दिया जाय ।

SUBJECT :—*Import Policy for Art Paper-Printing Paper excluding poster and stereo and all coated papers but including art paper, all sorts which contain no mechanical wood pulp or in which the mechanical wood pulp amounts to less than 70% of the fibre content—(S. No. 157/IV)—for the year April, 1973—March, 1974.*

No. 120—ITC(PN)/73—The import policy for Art Paper S. No. 157 IV) for the year April 1973—March 1974 is given in Annexure I to III to this Public Notice and shall be applicable with effect from the 1st April, 1973.

ANNEXURE I

Part & S. No. of I.T.C. Schedule	Description	Licensing-authority	Policy for Established-importers	Validity of licence	Remarks
1	2	3	4	5	6
157/IV	Printing paper CCI & E excluding poster and stereo and all coated papers but including art paper, all sorts which contain no mechanical wood pulp or in which the mechanical wood pulp amounts to less than 70% of the fibre content.		Nil	Twelve months.	I. A.U. for publishers and/or printers of newspapers and periodicals. II. A.U. applications in 'J' Form from publishers and/or printers of newspapers and periodicals for art paper will be submitted, in duplicate, and complete in all respects, through, the Registrar of Newspapers for India, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi. III. Grant of import licences for Art paper will be considered on the basis of applications for the same received by the Registrar of Newspapers for India not later than the 1st October, 1973. IV(a) Licences for art paper for cover pages and/or inside pages will be issued only to those periodicals which were granted licences for art paper for cover pages and or inside pages in 1972-73. (b) Where art paper is licensed for cover pages for periodicals printed on newsprint, the grammage per square meter will not exceed 100 grammes for periodicals having upto 100 pages per publishing day and 135 grammes in case where the number of pages exceed 100. A higher grammage may be allowed, on the merits of each case for cover pages of periodicals printed entirely on art paper. The decision of Registrar of Newspapers for India in this behalf shall be final.

1	2	3	4	5	6
					(c) Entitlement for art paper for cover pages and/or inside pages will be worked out on the basis of the number of cover and/or inside pages published on art paper and average circulation during 1972-73, subject to a maximum of the allocation made in 1972-73 in respect of imported and indigenous art paper. A Chartered Accountant's Certificate in the form given in Annexure III to this Public Notice should be furnished in addition to Chartered Accountant's Certificate in the form given in Annexure II to this Public Notice.
					V. Licences for art paper will be issued on annual basis subject to the conditions prescribed for annual licences in the Red Book (Vol. I) for the year April 1973—March 1974.
					VI. If any Actual User is not in a position to import art paper against the licence issued the Actual User may apply for a 'letter of authority' in favour of the party through whom it is desired to effect import, provided such party holds quota certificates) for art paper or is the sole agent of the foreign suppliers.

ANNEXURE II

Form of Chartered Accountant's Certificate regarding Circulation etc., for the period April 1972—March 1973

(TO BE TYPED ON THE LETTER HEAD OF THE CHARTERED ACCOUNTANT)

1. Name of Newspaper/Periodical.
2. Place of Publication.
3. Language.
4. Periodicity.

	April 72	May 72	June 72	July 72	August 72	Sept. 72	Oct. 72	Nov. 72	Dec. 72	Jan. 73	Feb. 73	Mar. 73	Average for the period from 1-4-72 to 31-3-73
(a) Average number of copies printed monthly-wise, per publishing day from 1-4-72 to 31-3-73.													
(b) Average number of copies sold, *month-wise*, per publishing day grom 1-4-72 to 31-3-73													
(c) Average number of copies distributed free, month-wise per publishing day (including complimentary, voucher, exchange bonus, samples and office copies) from 1-4-72 to 31-3-73.													
(d) Average number of month-wise unsold returns and other copies printed, but not included in (b) and (c).													

	April 72	May 72	June 72	July 72	August 72	Sept. 72	Oct. 72	Nov. 72	Dec. 72	Jan. 73	Feb. 73	March, 73	Average for the period from 1-4-72 to 31-3-73.
(e) Average size of the page month-wise, of the newspaper/periodical in Sq. Cms from 1-4-72 to 31-3-73.													
(f) Average number of pages, month-wise, of the newspaper periodical per publishing day from 1-4-72 to 3-3-73.													
(g) Actual number of publishing days, month-wise from 1-4-72 ro 31-3-73.													

Signature of the Publisher _____

Date _____

ANNEXURE II

Statement showing consumption of art paper for the publication of———————

———————

(Title of the paper, language and periodicity and place of publication) during the licensing period April 1972—March 1973

To be typed on the letter head of the Chartered Accountant

S. No.	Grammage of art paper	Imported		Indigenous	
		Quantity (in tonnes)	Value (in Rs.)	Quantity (in tonnes)	Value (in Rs.)
1	2	3	4	5	6

Place : ———————
Date : ———————

Signature of publisher———————
Name in Block letters———————

CERTIFICATE BY CHARTERED ACCOUNTANT

I/We———————registered Chartered Accountant of ———————(full address) do hereby solemnly declare that I/We have examined the books and records of———————(Title of the paper, language, and periodicity) ———published from——— (Address) for the period from 1st April 1972 to 31st March 1973 and certify that to the best of my/our information and belief and according to explanation given to me/us the statement set forth above reflects truly and correctly the consumption of imported and indigenous art paper during the aforesaid period for the publicaton of the aforesaid paper.

Further certified that the average number of pages for which consumption of Art Paper as above has been claimed are included/not included in the information furnished in Annexure II.

Date———————
Stamp of the Chartered Accountant———————

Signature ———————

1 Name signaturee of the person who has signed the Certificate :———————

2 Registration No.———————

3. Address ———————

CERTIFICATE OF THE CHARTERED ACCOUNTANT

I/We have examined the books and account of———————published (Name of paper, language and periodicity) from (Address)——————— for the period 1-4-1972 to 31-3-1973 and have obtained all the information and explanation required by us. In my/our opinion, the statement set forth above reflects true and correct analysis of circulation, pages, size and number of publishing days for the period from 1-4-1972 to 31-3-1973 to the best of my/our information and belief and according to the explanation given to me/us by the books of account, etc.

Date———————
Stamp of the Chartered Accountant.

Signature ———————

1. Name and signature of the person who has signed the Certificate———————
2. Registration No.———————
3. Address ———————

N.B. The Chartered Accountant's Certificate regarding average circulation per publishing day showing separately, the average number of copies, printed, sold and distributed free, etc., number of pages and page-area should be furnished, if monthwise average circulation exceeds 2,000 copies. If the monthwise average circulation is 2,000 copies or below, particulars in the above annexure should be furnished under the signature of the Publisher.

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports & Exports.

विषय : वर्ष अप्रैल, 1973–मार्च, 1974 के लिए–(क्रम संख्या 157/चार)–पोस्टर तथा टीन्यो तथा सभी कोटिड पेपर को छोड़कर परन्तु आर्ट पेपर सहित सभी प्रकार, जिस में कोई भी यान्त्रिक लुगदी अन्तर्विष्ट नहीं है या जिसमें ऐसी यान्त्रिक काष्ठ लुगदी अन्तर्विष्ट है जो तन्तुक अंशों के 70 प्रतिशत की मात्रा से कम है, के लिए प्रिंटिंग पेपर के लिए आयात नीति ।

संख्या 120—आई० टी० सी० (पी० एन०)/73.—वर्ष अप्रैल, 1973 से मार्च, 1974 तक के लिए आर्ट पेपर की आयात नीति, (क्रम संख्या 157/चार) इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट 1 से 3 तक में दी गई है और यह 1 अप्रैल, 1973 से लागू होगी ।

परिशिष्ट—1

आयात व्यापार नियन्त्रण अनुसूची की क्रम संख्या और भाग	ब्यौरा	लाइसेन्स प्राधिकारी	निर्धारित आयातकों के लिए नीति	लाइसेन्स की वैधता	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
157/चार	पोस्टर तथा स्टीरियो तथा सभी कोटिड पेपर को छोड़ कर परन्तु आर्ट पेपर समेत, सभी प्रकार, जिसमें कोई भी यान्त्रिक काष्ठ लुगदी अन्तर्विष्ट नहीं है या जिसमें 70 तन्तुक अन्शों के 70 प्रतिशत की मात्रा से कम यान्त्रिक काष्ठ लुगदी अन्तर्विष्ट है, का छपाई कागज ।	मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय	कोई नहीं	12 मास	1. समाचारपत्रों और नियतकालिक पत्रों के प्रकाशकों और/या मुद्रकों के लिए वास्तविक उपयोक्ता । 2. प्रकाशकों और/या समाचारपत्रों और नियातकालिक पत्रों के मुद्रकों द्वारा आर्ट पेपर के लिए 'जे' फार्म में वास्तविक उपयोक्ता आवेदन पत्र की दो प्रतियां पूरी तरह से भर कर भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजें । 3. आर्ट पेपर के आयात लाइसेन्स देने के लिए, इस पेपर के लिए भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा 1 अक्तूबर, 73 तक प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर विचार किया जायेगा ।

4. (क) जिन नियतकालिक पत्रों को 1972-73 में आवरण पृष्ठों या अन्दर के पृष्ठों के लिए आर्ट पेपर के लाइसेन्स दिये गये थे उन्हीं को आवरण पृष्ठों और/या अन्दर के पृष्ठों के लिए आर्ट पेपर मंगाने के वास्ते लाइसेन्स दिये जाएंगे ।

(ख) अखबारी कागज पर छपे जिन नियतकालिक पत्रों को आवरण पृष्ठों के लिए आर्ट पेपर का लाइसेन्स दिया गया है और जिन पत्रों की पृष्ट संख्या 100 प्रति प्रकाशन दिवस है उनके आवरण, पृष्ठ का प्रति वर्गमीटर भार 100 ग्राम से अधिक नही होगा और जिन नियतकालिक पत्रों की पृष्ठ संख्या 100 से अधिक है उनके आवरण पृष्ठ का भार 135 ग्राम से अधिक नही होगा । आर्ट पेपर पर छपे नियतकालिक पत्रों के बारे में प्रत्येक पत्र के मामले पर विचार करके भारी आवरण पृष्ठ मंगाने का लाइसेन्स दिया जा सकेगा । इस बारे में भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम होगा ।

(ग) आवरण पृष्ठों और/या अन्दर के पृष्ठों के लिए आर्ट पेपर की मात्रा का निर्धारण 1972-73 की औसत प्रचार संख्या तथा आवरण पृष्ठों और/या अन्दर के पृष्ठों की संख्या

1	2	3	4	5	6
					के आधार पर किया जाएगा। 1972–73 में जितना देशी और विदेशी आर्ट पेपर दिया गया था उससे अधिक नहीं दिया जाएगा। इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट 2 के के अनुसार चार्टर्ड लेखापरीक्षक के प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट–3 के अनुसार भी चार्टर्ड लेखा परीक्षक का प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए। 5. आर्ट पेपर के लाइसेन्स वार्षिक आधार पर दिये जायेंगे। अप्रैल, 1973 से मार्च, 1974 तक के वर्ष की आयात-निर्यात नीति पुस्तक (रेड बुक) में वार्षिक लाइसेन्सों लिए जो शर्तें निर्धारित है वही शर्तें आर्ट पेपर के लाइसेन्सों पर भी लागू होंगी। 6. यदि कोई वास्तविक उपयोगकर्ता मिले हुए लाइसेन्स से अखबारी कागज या आर्ट पेपर का आयात नहीं करता तो वह ऐसी किसी फर्म या व्यक्ति के नाम अधिकार-पत्र जारी करने को लिख सकता है जिसके द्वारा वह यह कागज आयात करना चाहता है बशर्ते उस फर्म या व्यक्ति के पास अखबारी कागज का कोटा सर्टिफिकेट हो अथवा वह माल भेजने वाली विदेशी कम्पनी का सोल एजेन्ट हो।

परिशिष्ट 2

अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 की अवधि के लिये प्रचार संख्या आदि के सम्बन्ध में चार्टर्ड एकाउन्टेंट के प्रमाण-पत्र का फार्म

(यह प्रमाण-पत्र चार्टर्ड एकाउन्टेंट के सरनामे पर टाइप किया जाये)

1. समाचार/नियतकालिक पत्र का नाम
2. प्रकाशन का स्थान
3. भाषा
4. आवर्तिता (पिरियोडिसिटी)

	अप्रैल 72	मई 72	जून 72	जुलाई 72	अगस्त 72	सितम्बर 72	अक्टूबर 72	नवम्बर 72	दिसम्बर 72	जनवरी 73	फरवरी 73	मार्च 73	1-4-72 से 31-3-73 तक की अवधि का औसत।
(क) 1-4-72 से 31-3-73 तक प्रति प्रकाशन दिवस के हिसाब से छापी गई प्रतियों की औसत संख्या (माहवार)													
(ख) 1-4-72 से 33-3-73 तक प्रति प्रकाशन दिवस के हिसाब से बेची गई प्रतियों की औसत संख्या (माहवार)													

	अप्रैल 72	मई 72	जून 72	जुलाई 72	अगस्त 72	सितम्बर 72	अक्टूबर 72	नवम्बर 72	दिसम्बर 72	जनवरी 73	फरवरी 73	मार्च 73	1-4-72 से 31-3-73 तक की अवधि का औसत
(ग) 1-4-72 से 31-3-73 तक प्रति प्रकाशन दिवस के हिसाब से मफ्त बांटी गई प्रतियों (मानार्थ, वाउचर, विनिमय, बौनस, नमूने और कार्यालय प्रतियों समेत) की औसत संख्या (माहवार)													
(घ) अनबिकी और अन-मुद्रित प्रतियों की औसत संख्या (माहवार) जो (ख) और (ग) में शामिल नही की गई ।													
(ङ) 1-4-72 से 31-3-73 तक समाचार/नियतकालिक-पत्र के पृष्ठों का औसत आकार (वर्ग सेंटी-मीटर में) (माहवार)													

(च) 1-4-72 से 31-3-73 तक प्रति प्रकाशन दिवस के हिसाब से समाचार-पत्र नियतकालिक-पत्र के पृष्ठों की औसत संख्या (माह-वार)

(छ) 1-4-72 से 31-3-73 तक प्रकाशन दिवसों की वास्तविक संख्या (माह-वार)

प्रकाशक के हस्ताक्षर.....

तिथि.....

चार्टर्ड एकाउन्टेंट का प्रमाण-पत्र

मैंने/हमने 1-4-72 से 31-3-73 तक की अवधि तक..... से प्रकाशित.....के हिसाब किताब की जांच
(पत्र का नाम, भाषा और आवृत्तिता)
कर ली है और अपने लिये आवश्यक सभी जानकारी और विवरण प्राप्त कर लिया है। मेरे/हमारे विचार से 1-4-72 से 31-3-73 तक की अवधि के लिये दिया गया उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास तथा हिसाब किताब आदि में मुझे/हमें दिखाये गये विवरण के अनुसार प्रचार-संख्या, पृष्ठों की संख्या, आकार और प्रकाशन दिवसों की संख्या का सही विश्लेषण है।

तारीख.....

हस्ताक्षर

1. प्रमाणपत्र देने वाले व्यक्ति का नाम तथा हस्ताक्षर.....
2. पंजीकरण संख्या
3. पता

टिप्पणी :—यदि माहवारी औसत प्रचार-संख्या 2000 प्रतियों से अधिक हो तो अलग से प्रत्येक प्रकाशन दिवस के हिसाब से मुद्रित, बेची गई, मुफ्त बांटी गई आदि प्रतियों की औसत संख्या, पृष्ठ संख्या और पृष्ठ के बारे में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिये । यदि माहवारी प्रचार-संख्या 2000 प्रतियों या इससे कम हो तो उपरोक्त परिशिष्ट का विवरण प्रकाशक के हस्ताक्षर से ही भेजा जाना चाहिये ।

परिशिष्ट—3

लाइसेन्स अवधि अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 के दौरान.....
(पत्र का नाम, भाषा आवर्तिता
.....के प्रकाशन में आर्ट पेपर की खपत का विवरण।
और प्रकाशन का स्थान)

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के लेटरहेड पर टाइप किया जाए)

क्रम संख्या	आर्ट पेपर का वजन (ग्राम में)	आयातित		देशी	
		परिमाण (टनों में)	मूल्य (रु० में)	परिमाण (टनों में)	मूल्य (रु० में)
1	2	3	4	5	5

स्थान..... प्रकाशक के हस्ताक्षर
तिथि..... पूरा नाम

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण-पत्र

मैं/हम.....पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट.....
.....(पूरा पता) निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने
.....से प्रकाशित
(पता) (पत्र का नाम, भाषा और आवर्तित)
के 1 अप्रैल, 1972 से 31 मार्च, 1973 तक की अवधि के हिसाब-किताब की जांच कर ली है और मैं/हम प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास तथा मुझे/हमें दी गई सूचना के अनुसार उपरोक्त विवरण, उपरोक्त अवधि के दौरान उपरोक्त-पत्र के प्रकाशन में आयातित और देशी आर्ट पेपर की खपत का सही विश्लेषण है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि औसत पृष्ठ संख्या, जिसके लिए आर्ट पेपर की खपत का ऊपर दावा किया गया है, परिशिष्ट—2 में दी गई जानकारी में शामिल/शामिल नहीं की गई है।

तारीख..... हस्ताक्षर.....
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की मुहर

.....

1—प्रमाण पत्र देने वाले व्यक्ति का नाम तथा हस्ताक्षर
2—पंजीकरण संख्या.....
3—पता

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973.